42/2016

A8/7

अति.जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर०ए०एस०

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं० 47/16

1. जगदीश
2. कालूराम पिसरान धर्मपाल
3. रामजी लाल
4. अमीचन्द पिसरान जगराम
5. लीलाधर
6. मदन लाल
7. लालचन्द पिसरान पन्नाराम
8. संजीव कुमार पुत्र साहबराम अकवाम जाट सकनाए मन्नीवाली
9. राजू उर्फ प्रवीण पुत्र मंगतराम जाति बाघला निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

निगरानीकर्तागण

बनाम

1 विकास अधिकारी ,पंचाचत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2.सरपंच, ग्राम पंचायत मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश विकास अधिकारी, सादुलशहर दिनांक 23–04–12

उपस्थित : 1. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता निगरानीकर्तागण
2. राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी सं० एक
3. श्री दुर्गाप्रसाद, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं० दो

आदेश दिनांक : 25 –1–17

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निगरानीकृत आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्तागण को पट्टे जारी किये गये हैं। अप्रार्थी सं० 1 द्वारा बिना जॉच किये शिकायत के आधार पर निगरानीकृत आदेश पारित किया गया है। राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी में गैरमुमकिन आबादी दर्ज है। वार्ड सं० 9 जोहड़ पायतन का स्थान नहीं है। निगरानीकर्तागण आवंटित पट्टों पर काबिज हैं। निगरानीकृत आदेश पारित करने का अधिकार अप्रार्थी सं० एक को नहीं था। निगरानीकृत आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है एवं बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व न तो कोई नोटिस दिया गया है और न ही विधिवत् सुनवाई की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन अप्रार्थी सं० 1 से प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्तागण को पट्टे जारी किये गये हैं। अप्रार्थी सं० 1 द्वारा बिना जॉच किये शिकायत के आधार पर निगरानीकृत आदेश पारित किया गया है। राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी में गैरमुमकिन आबादी दर्ज है। वार्ड सं० 9 जोहड़ पायतन का स्थान नहीं है। निगरानीकर्तागण आवंटित पट्टों पर काबिज हैं। निगरानीकृत आदेश पारित करने का अधिकार अप्रार्थी सं० एक को नहीं था। निगरानीकृत आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है एवं बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व न तो कोई नोटिस दिया गया है और न ही विधिवत् सुनवाई की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

A8/2

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्तागण को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् रूप से पट्टे जारी किये गये हैं तथा निगरानीकर्तागण पट्टे शुदा भूमि पर काबिज हैं। पट्टों को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकृत आदेश कमांक 364 दिनांक 23-4-12 जो अप्रार्थी सं0 1विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर द्वारा अप्रार्थी सं0 2 ग्राम पंचायत मन्नीवाली को जारी किया गया है, में वर्णित किया गया है कि ग्राम पंचायत मन्नीवाली के निवासियों द्वारा वार्ड सं0 9 के सार्वजनिक जोहड़ पर अतिकमण करने की प्रस्तुत शिकायत के कम में आदेशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सार्वजनिक जोहड़ इत्यादित की भूमि सुरक्षित रखी जावे । उक्त जोहड़ स्थल पर यथास्थिति बनाना सुनिश्चित करें। उक्त स्थल पर कब्जे का प्रयास कर रहे अप्रार्थीगण से उक्त भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेज प्राप्त किये जावें। यदि उक्त भूमि के पट्टे जारी कर दिये गये हैं तो राजस्थान पंचायत राज नियमानुसार उन्हें निरस्त कराने की कार्यवाही की जावे एवं पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता (बीडीओ सादुलशहर) को अविलम्ब अवगत कराया जावे।

उक्त निगरानीकृत आदेश में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जोहड़ स्थल पर यथास्थिति बनाने का आदेश दिया गया है। साथ ही यदि उक्त भूमि पर पट्टे जारी कर दिये गये हैं तो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें निरस्त कराने की कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है।

अप्रार्थी सं0 1 ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 11-11-16 में अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत मन्नीवाली के रिकार्ड में उक्त स्थल के संबंध में खसरा रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। राजस्व रेकार्ड में जोहड़ दर्ज नहीं है, लेकिन मौके पर देखने पर भी स्थिति पानी वाली जगह प्रतीत होती है।

विकास अधिकारी, सादुलशहर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 11-11-16 में स्वंय यह माना है कि ग्राम पंचायत मन्नीवाली के रिकार्ड में उक्त स्थल के संबंध में खसरा रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। राजस्व रेकार्ड में जोहड़ दर्ज नहीं है जबकि ग्राम पंचायत के अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्तागण को विधिसम्मत् कार्यवाही कर पट्टे जारी किये गये हैं और निगरानीकर्तागण अपने -2 पट्टों की भूमि पर काबिज हैं। खसरा आबादी का रेकार्ड उपलब्ध न होने व राजस्व रेकार्ड में जोहड़ दर्ज न होने से यह स्थिति स्पष्ट नहीं होती है कि निगरानीकर्तागण को जोहड़ की भूमि में पट्टे जारी किये गये हैं। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा बिना विधिवत् जॉच किये, बिना सुनवाई किये निगरानीकृत आदेश पारित किया गया है। बिना सारवान दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यथास्थिति का स्थगन पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है और ऐसा आदेश बिना क्षेत्राधिकारिता के है। विकास अधिकारी तथ्यपरक जॉच कर यह सुनिश्चित करते कि निगरानीकर्तागण को जो पट्टे जारी किये गये हैं, वे जोहड़ पायतन की भूमि पर हैं। ऐसा तथ्य प्रमाणित होने पर पृथक-2 पट्टे के विरूद्व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 97 के अन्तर्गत निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर विधिसम्मत् कार्यवाही कर सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा निगरानीकृत आदेश जो विकास अधिकारी, सादुलशहर द्वारा जरिये क्रमांक 364 दिनांक 23-4-12 को बिना विधिवत् सुनवाई किये, बिना क्षेत्राधिकारिता के पारित किया गया है, को निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर एवं ग्राम पंचायत मन्नीवाली को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 25-1-17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/1/17

(करतारसिंह पूनियां)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner